



शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड।

31/62, राजपुर रोड, देहरादून-248001

E mail – info.udduk@gmail.com, दूरभाष – 0135-2749541, फैक्स. 0135.-2749542

संख्या: 1377/श0वि0नि0-श0वि0नि0-53(विविध-विकल्प)/06,

देहरादून: दिनांक :- 04/08/2020

कार्यालय ज्ञाप

शासन के पत्रांक-952/iv(1)-19-01(05)/2014, दिनांक 06-09-2019 में दिये गये आदेशों के अनुपालन में उत्तराखण्ड पालिका (अकेन्द्रीयित) कर्मचारी सेवा (समूह "ग") नियमावली, 2017 के नियम-18 के अन्तर्गत पालिका मिनिस्ट्रीयल सेवा का विकल्पों के आधार पर निदेशालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या-125/श0वि0नि0-53 (विविध-विकल्प)/06, दिनांक 22-05-2020 में उल्लिखित तथ्यों तथा अन्तिम रूप से संवर्ग आवंटन के फलस्वरूप निर्गत पालिका अकेन्द्रीयित सेवा की मिनिस्ट्रीयल सेवा संवर्ग की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची पर निम्न आपत्तियां/अनुरोध प्राप्त हुए हैं:-

आपत्तिकर्ता का नाम	आपत्ति/अनुरोध का विवरण	प्राप्त आपत्ति/अनुरोध का निस्तारण
1-श्री विजेन्द्र सिंह चौहान, प्रभारी सहायक नगर आयुक्त, नगर निगम, हल्द्वानी	अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में अंकित क्रमांक-03, क्रमांक-06, तथा क्रमांक-14, पर अंकित कार्मिकों की जन्मतिथि एवं नियुक्ति तिथि के अवलोकन से विदित है कि उक्त कार्मिक नियुक्ति तिथि को 18 वर्ष पूर्ण नहीं कर रहे हैं। उक्त के दृष्टिगत सूची का पुनः अवलोकन कर ठीक किए जाने का अनुरोध किया गया है।	निकायों द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त पाया गया कि मौ0 गौहर हयात की जन्मतिथि हाईस्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार दिनांक 03-11-1964 है, जो उक्त अनन्तिम सूची में त्रुटिवश 03-11-1969 अंकित है, जिसे तदनुसार संशोधित किया जाता है। अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के क्रमांक-159 पर अंकित श्री गौरव अग्रवाल की जन्मतिथि 27-07-1997 अंकित है, जबकि श्री अग्रवाल की हाईस्कूल प्रमाण-पत्र के अनुसार वास्तविक जन्मतिथि 27-07-1991 है, जो तदनुसार संशोधित की जाती है। श्रीमती मन्जू चौहान एवं श्री दिनेश उनियाल के नियुक्ति सम्बन्धी अभिलेखोनुसार के परीक्षणोपरान्त पाया गया है कि उक्त कार्मिको को उनके नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा शासनादेश संख्या -यू0पी0-154/टी-9-1-74-22 सा0/74, दिनांक 16-10-74 में मृतक आश्रितो को आयुसीमा में शिथिलीकरण प्रदान करने के आदेश हैं। तदनुसार नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सम्बन्धित को नियुक्ति प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त संगत नियमावली, 2017 एवं शासनादेश दिनांक 12-06-2015 में समूह 'घ' से सीधे पालिका केन्द्रीयित सेवा के पदोन्नति का कोई प्राविधान नहीं है, जिस कारण क्रमांक-1 एवं 02 पर उल्लिखित आपत्ति विचारणीय नहीं है। अतः उपरोक्तानुसार उल्लिखित आपत्तियां तदनुसार निस्तारित की जाती है।
2-अध्यक्ष, देवभूमि उत्तराखण्ड सफाई कर्मचारी संघ, नैनीताल।	आपत्तिकर्ता द्वारा जारी अनन्तिम ज्येष्ठता सूची दिनांक 22-05-2020 में अंकित क्रमांक-03,, क्रमांक-06, क्रमांक-14, क्रमांक-159, पर अंकित कार्मिकों की उम्र नियुक्ति के समय कम होने का उल्लेख करते हुए अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में समूह 'घ' के कार्मिकों भी अवसर प्रदान करने अनुरोध किया गया है।	आपत्ति विचारणीय नहीं है। पूर्व में दिनांक 24-08-2017 को जारी सभी संवर्गों की अन्तिम ज्येष्ठता सूची के समय तत्समय प्रभावी उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीयित) सेवा (बाईसवां संशोधन) नियमावली) 2015 में केवल लेखा लिपिकों से ही की ज्येष्ठता पर पदोन्नति का प्राविधान था। अन्य संवर्ग में केन्द्रीयित सेवा के अन्य पदों पर पदोन्नति का कोई प्राविधान नहीं था। जिस कारण अन्य किसी संवर्ग में पदोन्नति की कार्यवाही शासन द्वारा नहीं की गई। सचिव महोदय की अध्यक्षता में आहूत बैठक दिनांक 06-09-2019 द्वारा निर्णय लिया गया कि उक्त विकल्प पालिका केन्द्रीयित सेवा नियमावली जारी होने से पूर्व लिए गए। उक्त के दृष्टिगत पालिका अकेन्द्रीयित सेवा के कार्मिकों से अन्तिम बार पुनः विकल्प मांग लिया जाए। तत्क्रम में शासन के पत्र संख्या-952/IV(1)/2019-01 (05)/2014, दिनांक 23-09-2019 द्वारा पुनः कार्मिकों को अन्तिम अवसर प्रदान करते हुए अन्तिम बार विकल्प प्राप्त करने के निर्देश दिए गए
3-श्री सुधाकर भट्ट, श्री आदेश कुमार यादव, श्री आशु वर्मा, एवं श्री इन्द्र सिंह, कनिष्ठ सहायक, नगर निगम, हरिद्वार	आपत्तिकर्ताओं द्वारा मुख्यतः कार्यालय आदेश दिनांक 24-08-2017 द्वारा पालिका मिनिस्ट्रीयल सेवा संवर्ग की राज्य स्तरीय ज्येष्ठता सूची निर्गत की गई। निदेशालय द्वारा अकेन्द्रीयित सेवा के लेखा लिपिकों की पृथक से ज्येष्ठता सूची निर्गत करते हुए उन्हें माह जनवरी, 2019 से सहायक लेखाकार के पद पर पदोन्नति का लाभ प्रदान किया गया है। अन्य पालिका अकेन्द्रीयित सेवा के ऐसे कार्मिक, जिन्होंने पूर्व में "हॉ" का विकल्प दिया, अन्तिम ज्येष्ठता सूची निर्गत किए जाने के उपरान्त भी पदोन्नति का लाभ नहीं दिए जाने पर आपत्ति करते हुए उल्लेख किया है कि अन्तिम ज्येष्ठता सूची जारी किए जाने के उपरान्त पुनः विकल्प मांगा जाना	

	विधिसम्मत नहीं है। अनन्तिम एवं अन्तिम ज्येष्ठता सूची निर्गत किए जाने के कारण प्रार्थीगणों की ज्येष्ठता प्रभावित हो रही है। आपत्तिकर्ताओं द्वारा पूर्व हॉ का विकल्प देने वाले पालिका मिनिस्ट्रीयल सेवा संवर्ग की कार्यालय आदेश दिनांक 24-08-2017 द्वारा जारी अन्तिम ज्येष्ठता सूची को यथावत् रखने, लेखा संवर्ग के सहायक लेखाकारों को दिए गए पदोन्नति तिथि से पदोन्नति का लाभ देने तथा पुनः विकल्प दिए जाने वाले कार्मिकों की पृथक से द्वितीय राज्य स्तरीय पारस्परिक अन्तिम ज्येष्ठता सूची निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।	हैं। उक्त के दृष्टिगत शासन के आदेशों के क्रम में निदेशालय के पत्र संख्या-2757, दिनांक 28-09-2019 द्वारा पुनः विकल्प पत्र मांगे गए। अतः आपत्ति तदनुसार निस्तारित की जाती है।
4-श्री विनय वाल्मीकी, महासचिव, वाल्मीकी कल्याण संघ, कनखल, हरिद्वार	आपत्तिकर्ता द्वारा अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के क्रमांक-163 व क्रमांक-174 पर अंकित कार्मिकों जो 2013 में बनी नवीन नगर पंचायत, में कार्यरत है, को किस नियम से सीधी नियुक्तियां की गई है तथा अधिशासी अधिकारी, भी बनाया गया है, का संज्ञान लेकर वरिष्ठता सूची से अलग कर जांच करते हुए अवैध नियुक्तियां रद्द करने का अनुरोध किया गया है।	प्राप्त आपत्तियों के सम्बन्ध में अभिलेखों/प्राप्त विकल्पों के अनुसार आपत्तिकर्ताओं द्वारा उल्लिखित कार्मिकों की नियुक्तियां निदेशालय द्वारा नहीं की गई है। निकायों से प्राप्त सम्बन्धित कार्मिकों के विकल्प पत्र के तालांश पर सम्बन्धित निकायों द्वारा नियुक्ति के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र दिया गया है। नियुक्ति की स्थिति के सम्बन्ध में पृथक से नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। अकेन्द्रीयित सेवा के कार्मिकों को शासन द्वारा निकायों में अधिशासी अधिकारी की कमी के दृष्टिगत नितान्त अस्थायी व्यवस्था के अन्तर्गत कार्य सौंपा गया है। अतः क्रमांक-04 एवं 05 पर उल्लिखित आपत्तियां तदनुसार निस्तारित की जाती है।
5-श्री अजय करगेती, सामाजिक कार्यकर्ता, सुभाष नगर आदर्श कालोनी, हल्द्वानी।	आपत्तिकर्ता द्वारा मुख्यतः उल्लेख किया है कि नवगठित नगर पंचायतों में पद आउटसोर्स द्वारा भरे जाने के आदेश है। अनन्तिम प्रकाशन सूची के क्रम-157, 163 व 174 पर अंकित कार्मिकों की नियमित नियुक्ति दर्शायी गई है, जो कि संदेहास्पद प्रतीत होती है। आपत्तिकर्ता द्वारा ऐसे कार्मिकों को सम्मिलित न करने का अनुरोध किया गया है।	
6-श्री गौरव कुमार गुप्ता, नगर निगम, देहरादून।	आपत्तिकर्ता द्वारा उल्लेख किया गया है कि उत्तराखण्ड पालिका (अकेन्द्रीयित) कर्मचारी सेवा (समूह 'ग') नियमावली, 2017 के नियम-18 में एक बार दिया गया विकल्प अन्तिम होने का प्राविधान है। पत्रांक-1513, दिनांक 24-08-2017 द्वारा निर्गत अन्तिम ज्येष्ठता सूची, जिसमें से लगभग 15-20 कार्मिक सेवानिवृत्त हो गए हैं। उक्त सूची में उनका क्रमांक-121 था। पुनः विकल्प देने वालों को पूर्व में जारी ज्येष्ठता सूची के अन्तिम कार्मिक के बाद अवसर प्रदान किया जाए।	सचिव महोदय की अध्यक्षता में आहूत बैठक दिनांक 06-09-2019 द्वारा निर्णय लिया गया कि उक्त विकल्प पालिका केन्द्रीयित सेवा नियमावली जारी होने से पूर्व लिए गए। उक्त के दृष्टिगत पालिका अकेन्द्रीयित सेवा के कार्मिकों से अन्तिम बार पुनः विकल्प मांग लिया जाए। शासन के पत्र संख्या-952/IV(1)/2019-01 (05)/2014, दिनांक 23-09-2019 द्वारा पुनः कार्मिकों को अन्तिम अवसर प्रदान करने के प्रदत्त निदेशों के क्रम में निदेशालय के पत्र संख्या-2757, दिनांक 28-09-2019 द्वारा पुनः विकल्प पत्र मांगे गए। आपत्तिकर्ता के कथनानुसार संगत नियमावली में तदनुसार कोई प्राविधान नहीं है। उक्तानुसार कार्यवाही शासन के निर्देशों के अनुपालन में की गई है। अतः तदनुसार आपत्ति निस्तारित की जाती है।
7-श्री गौरव अग्रवाल, लिपिक, नगर पालिका परिषद, पिथौरागढ़	सूची के क्रमांक-159 पर प्रार्थी की जन्मतिथि 27-07-1997 दर्ज है, जबकि इनकी वास्तविक जन्मतिथि 27-07-1991 है।	आपत्ति विचारणीय है। प्राप्त अभिलेखों का अवलोकन कर हाईस्कूल प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि के अनुसार जन्मतिथि में तदनुसार संशोधन किया जाता है।
8-श्री विनोद कुमार, कनिष्ठ लिपिक, नगर पालिका परिषद,	श्री विनोद कुमार द्वारा उल्लेख किया गया है कि अनन्तिम सूची में शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट दर्शायी गई है, जबकि	आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए शैक्षिक योग्यता अभिलेखों के आधार पर शैक्षिक योग्यता अन्तिम ज्येष्ठता सूची में तदनुसार संशोधन किया जाता है। नगर पालिका परिषद

